

कार्यालय अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बेकरो)

विशेष वाद सं० 09/2024-25

शशि गोबिन्दा देव बनाम अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा

~~0209~~

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्रवाई दिनांक
21/8/24	आवेदक शशि गोबिन्दा देव पिता- स्व कमलनाथ देव पत्नी- चन्द्रपुरा स्थित मंदिर मांरल्ला, याना- चन्द्रपुरा जिला- बेकरो द्वारा प्रमर्शित आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन में अंकित किया गया है कि माँज- रतारी अन्तर्गत राना संख्या 01, प्लॉट संख्या 159 रकबा 03 बीघा भूमि उनके दादी सखेदयी कुंवरी के नाम से बेकरो सं० 1146 के द्वारा खरीदगी है। खरीदगी भूमि के बाद अन्य प्लॉट की भूमि उनके पिता कमल नाथ देव वसंत के नाम से पंजी 0 के भाग सं० 02 प्लॉट सं० 147 में लगावंदी है। उनके द्वारा ऑनलाइन लगावंदी कराने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के आलेख में राजस्व उप निरीक्षक राज प्रगारी अंचल निरीक्षक से जाँच अतिरिक्त की माँग करें ? अतिलेख दिनांक 11-09-2024 को रखें।  अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा	

11/9/24

अभिलेख उपस्थापित किया गया।
राजस्व उप निरीक्षक - लहू-पुमादी कुंवर
निरीक्षक से जॉय प्रतिकेदन प्राप्त
हुआ, जिसका आवेदन किया गया।

पीठा पदाधिकारी: आपकी कोषागार आपकी
दफ्तर आपके सार कार्यक्रम में व्यक्त है।

अभिलेख दिनांक 16/10/24 को करें।

ऑफिस अधिकारी
पञ्चपुरा

16/10/24

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

आवेदन अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 04-11-2024 को करें।

ऑफिस अधिकारी
पञ्चपुरा।

04/11/24

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदन उपस्थापित है।

राजस्व उप निरीक्षक - लहू-पुमादी
कुंवर निरीक्षक द्वारा अपने जॉय
प्रतिकेदन में प्रतिकेदन किया गया है कि
जॉय-रवाये, आगा नं०-118 अन्तर्गत
जवाग नं०-01, पलौट नं०-159 टकग 003
एकड़ भूमि सर्वे वकादत जवाग की है।

उक्त भूमि 3 केबला सं० 1146 दिनांक 16-4-29
के द्वारा आदम लाल कुंवर, लखोदरी कुंवर
कोरार के नाम से दर्ज होकर ऑनलाइन पंजी 11

के भाग संख्या - 02 पृष्ठ सं 147 में
 बिन्देश्वरी देव, नागेश्वर देव, सूर्यनाथ
 देव को कमल नाम के नाम से दर्ज
 होता 01 एकड़ 17.75 बीघा भूमि का जगह
 सीमा निर्धारित है। इस जगह में
 प्लॉट सं 159 रकबा 0.03 एकड़ ऑनलाईन
 में दर्ज करने का अनुरोध किया
 गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये
 गये प्रतिमान एवं राजस्व उपनिरीक्षक-
 लह पुरावे अंचल निरीक्षक के
 जॉब प्रनिकेटर एवं अनुशंसा के आधार
 पर माँगा- रवादी के जगह सं 01, प्लॉट
 सं 159 रकबा 0.03 एकड़ भूमि ऑनलाईन
 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

राजस्व उप निरीक्षक- लह पुरावे
 अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता
 है कि उक्त आदेश के आलेख में
 कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
 इसी आदेश के साथ वाद की कॉपी
 जमाप की जाती है।


 24/11/24
 अंचल अधिकारी
 पन्डितगढ़